न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 67/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 अमराराम पुत्र जगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी खिरोडी तहसील चितलवाना जिला जालोर		1 अजाराम पुत्र रवजीराम ब्राहम्ण के का0मु0 1/1 बादली बेवा अजाराम 1/2 त्रीकमाराम पुत्र अजाराम 1/3 वसना पुत्र अजाराम 1/4 अणसी पुत्री अजाराम 1/5 माफी पुत्र अजाराम 2 नवाराम पुत्र आम्बाराम 3 आईदाना पुत्र आम्बाराम 4 लक्ष्मण पुत्र आम्बाराम 5 हडमताराम पुत्र आम्बाराम 6 भंवरलाल पुत्र अदराराम 7 बाबुलाल पुत्र अदराराम 8 छगनलाल पुत्र अदराराम के का0मु0 8/1 शान्ता पत्नी छगनलाल 8/2 प्रवीण पुत्र छगनलाल 8/3 आरती पुत्री छगनलाल 8/4 पानी पुत्री छगनलाल 8/5 सीमा पुत्री छगनलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 8/3 से 8/5 नाबालिग जरिये कदरती वलीया माता शान्ता बेवा छगनलाल 9 बादली बेवा अदराराम 10 केसाराम पुत्र सवाराम 11 जबराराम पुत्र सवाराम 12 गणेशाराम पुत्र सवाराम 13 पांचाराम पुत्र राजाराम 14 हमीराराम पुत्र राजाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

15 दीपाराम पुत्र राजाराम
16 नगाराम पुत्र राजाराम
17 बादली बेवा राजाराम
18 दुदाराम पुत्र रवजीराम जातियान ब्राहम्ण निवासीगण खिरोडी तहसील चितलवाना जिला जालोर
19 व्यवस्थापक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांचोर जिला जालोर
20 व्यवस्थापक जे0सी0सी0बी0 शाखा अरणाय तहसील सांचोर जिला जालोर
21 तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 21 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/3/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2014 बअनवान अजाराम वगैरा बनाम अमराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा खिरोडी के खसरा नम्बर 1070, 1071, 1061, 1062, 1069 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलाण्ट को तामील ही नहीं हुए, इसके बावजूद अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जिसे अपास्त कराने हेतु अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 नियम 6 व 7 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई निष्कर्ष अंकित किए उसी दिन खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से रास्ता प्राप्त किया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 430 व 429 जो राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है, इस रास्ते से होकर खसरा नम्बर 1065 में होते हुए खसरा नम्बर 1066 व आगे उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1067, 1068 व 1069 में आने जाने का रास्ता है। खसरा नम्बर 1065 बादली पत्नी अजाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी है। उक्त खसरे से जो रास्ता जाता है, वह निकटतम मार्ग है, किन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट को बेवजह परेशान करने की नियत से अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि वियद्ध है। खसरा नम्बर 1068 व 1069 के दक्षिण–पूर्वी दिशा में निकटतम मार्ग है, जिससे रेस्पोडेन्ट्स आते जाते है, यह रास्ता उपयुक्त व सुविधाजनक है, किन्तु रेस्पोडेन्ट अपीलाण्ट की भूमि के टुकडे करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस स्थान से रास्ता दिया गया है, वहां पर ढाणी बनी हुई है, यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयानुसार पालना की जाती है, तो निश्चय ही रास्ता उक्त ढाणी को तोडकर निकलेगा, जिससे अपीलाण्ट के हक हकूक प्रभावित होंगे। धारा 251ए के तहत निकटतम मार्ग से ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान है, प्रकरण में जो निकटतम मार्ग है, वह मार्ग खसरा नम्बर 1065 में से होकर है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पेशी पर किसी प्रकार से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट द्वारा उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, वह आधारहीन था, जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही करने के प्रावधान है। जो रास्ता प्रदान किया गया है, वह समस्त खातेदारान के लिए है तथा उनकी सुविधा के लिए रास्ता दिया गया है। अपीलाण्ट को यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 6, 7 पर पारित आदेश से कोई शिकवा था, तो वे उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। चूंकि रास्ता पूर्व से ही चालू था, जिसकी मांग रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमियों में से आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 से 15, जो हस्तगत अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 18 संयोजित है, ने आवेदित रास्ता प्रदान करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किए। उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से दिनांक 28.09.2015 को आदेश 9 नियम 6 व 7 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को खारिज कर दिया तथा अगली पेशी दिनांक 30.09.2015 को जैर अपील आदेश पारित किया। प्रकरण में भू0अ0नि0 द्वारा तहसीलदार चितलवाना के मार्फत जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई मार्ग नही होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चितलवाना की रिपोर्ट को आधार मानते हुए उसके आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।'' इस धारा में ''absolute necessary'' एवं ''absence of alternative means of access is proved'' ही वह कसौटी है, जिस पर खरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है। प्रकरण में वादस्थ भूमि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 सहित अन्य खातेदारान् की अधिकांश भूमियां रास्ते से लगती हुई नहीं है। जैर अपील आदेश के जरिये जो रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, वह रास्ता कायम होने से अन्य खातेदारान् को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु जो नोटिस जारी किया गया, वह उनके द्वारा लेने से इन्कार किया है, जो विधिवत तामील की परिभाषा में आने से तामील माना गया तथा बावजूद नोटिस तामील के अपीलाण्ट न्यायालय में असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 6 व 7 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए एकपक्षीय कार्यवाही का अपास्त किया जा सके। मात्र येनकेन प्रकारेण प्रकरण को लम्बा करने की मंशा से कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग किया जाना न्यायोचित नहीं है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 6 व 7 सी0पी0सी0 को खारिज किया है। उसके पश्चात प्रकरण में जो पक्षकार शेष थे, उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2014 बअनवान अजाराम वगैरा बनाम अमराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9·3·2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली